# झारखण्ड विधान सभा

## तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचदश (बजट)– सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 02 माघ, 1940 [श0] / 22 जनवरी, 2019 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्रमांक–विभागों को भेजी गई सा0 संख्या | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 01. 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
| 59– उ– 03 | श्री योगेश्वर महतो | विस्थापितों का नियोजन। | उद्योग | 15.01.2019 |
| 60– उत– 18 | श्री देवेन्द्र कु0 सिंह | संवेदक पर कार्रवाई। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 61– शि– 01 | श्री राम कुमार पाहन | उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा देना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 10.01.2019 |
| 62– टन– 11 | श्री अमित कु0 मंडल | ओलंपिक खेल में सम्मिलित कराना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |
| 63– शि– 23 | श्री पौलुस सुरीन | विद्यालयों का विलय रोकना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 64– शि– 06 | श्री अशोक कुमार | विद्यालय भवन का निर्माण। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 11.01.2019 |
| 65– उत– 12 | श्रीमती विमला प्रधान | स्थाई नियुक्ति करना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 66– शि– 08 | श्री ढुलू महतो | उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 67– टन– 04 | श्री जगरनाथ महतो | स्टेडियम निर्माण पूर्ण कराना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 13.01.2019 |
| 68– उत– 11 | श्री मनोज कु0 यादव | महिला महाविद्यालय खोलना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |

| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69— | टन— 06 | श्री केदार हजरा | पर्यटकीय विकास करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 13.01.2019 |
| 70— | शि— 20 | श्री कुणाल षड़ंगी | रिक्त पदों पर नियुक्ति। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 71— | शि— 05 | श्री अशोक कुमार | विलय स्थगित करना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 11.01.2019 |
| 72— | ख— 02 | प्रदीप यादव | बालु उठाव पर रोक। | खान एवं भूतत्व | 15.01.2019 |
| 73— | उत— 02 | श्रीमती गंगोत्री कुजूर | महिला महाविद्यालय खोलना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 11.01.2019 |
| 74— | उ— 02 | श्री शिवशंकर उराँव | उद्योग स्थापित करना। | उद्योग | 13.01.2019 |
| 75— | टन— 16 | श्री नागेन्द्र महतो | पर्यटन केन्द्र में विकसित करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |
| 76— | वन— 04 | श्री शिवशंकर उराँव | जिलावार आंकड़ा देना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 13.01.2019 |
| 77— | उत— 03 | श्री दशरथ गागराई | पठन—पाठन की व्यवस्था। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 11.01.2019 |
| 78— | शि— 14 | श्रीमती विमला प्रधान | नियमित भुगतान करना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 79— | शि— 22 | श्री नागेन्द्र महतो | स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 80— | उत— 04 | श्री केदार हजरा | अंगीभूत महाविद्यालय खोलना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 13.01.2019 |
| 81— | शि— 02 | श्रीमती सीमा देवी | स्कूल भवन का निर्माण। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 11.01.2019 |
| 82— | उत— 07 | डॉ0 इरफान अंसारी | पढ़ाई प्रारंभ कराना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 83— | टन— 02 | श्रीमती सीमा देवी | क्षतिपूर्ति करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 11.01.2019 |
| 84— | टन— 10 | श्री अमित कु0 मंडल | सांस्कृति भवन का निर्माण। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |
| 85— | शि— 07 | श्रीमती बवीता देवी | अनुदान राशि देना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 13.01.2019 |
| 86— | उत— 01 | श्रीमती गंगोत्री कुजूर | महिला महाविद्यालय खोलना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 11.01.2019 |
| 87— | वन— 07 | श्री योगेश्वर महतो | वन संपदा की सुरक्षा। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 15.01.2019 |
| 88— | शि— 15 | श्रीमती जोबा माँझी | विलय मुक्त करना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 89— | वन— 02 | श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन | कार्यालय स्थापित करना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 10.01.2019 |
| 90— | उत— 09 | श्री अरूप चटर्जी | अनुदान राशि देना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 91— | टन— 09 | श्री ढुलू महतो | राजकीय धरोहर घोषित करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |

| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92— | वन — 09 | श्री सुखदेव भगत | विस्थापन रोकना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 15.01.2019 |
| 93— | टन— 03 | श्री जगरनाथ महतो | रोपबे लगाना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 13.01.2019 |
| 94— | उ— 01 | श्री दशरथ गागराई | शिल्क पार्क का निर्माण। | उद्योग | 11.01.2019 |
| 95— | वन— 10 | श्री कुणाल षड़ंगी | जंगली हाथियों से बचाना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 15.01.2019 |
| 96— | टन— 05 | श्री सुखदेव भगत | पर्यटन स्थल विकसित करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 13.01.2019 |
| 97— | शि— 16 | श्रीमती जोबा माँझी | रिक्त पदों को भरना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 98— | उत— 06 | श्री चंपाई सोरेन | स्नातक महाविद्यालय खोलना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 99— | शि— 10 | श्री लक्ष्मण टुडू | उच्च विद्यालय में इंटरमिडियट की शिक्षा देना। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 100— | उत— 17 | श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता | महिला महाविद्यालय का निर्माण कराना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 101— | वन— 08 | श्री अनंत कु0 ओझा | वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 15.01.2019 |
| 102— | शि— 24 | श्री नलिन सोरेन | छात्रावास भवन का निर्माण । | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 103— | टन— 17 | श्री पौलुस सुरीन | राजकीय पर्यटक स्थल घोषित करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |
| 104— | उत— 10 | श्री मनोज कु0 यादव | पोलिटेकनिक कॉलेज खोलना। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 15.01.2019 |
| 105— | टन— 14 | श्री अरूप चटर्जी | आर्ट गैलरी एवं म्युजियम स्थापित करना। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |
| 106— | वन— 01 | श्री ग्लेन जोसेफ गालस्टन | अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 10.01.2019 |
| 107— | शि— 11 | श्री रबीन्द्र नाथ महतो | कक्षा भवन का निर्माण। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 15.01.2019 |
| 108— | टन— 08 | श्री लक्ष्मण टुडू | पर्यटन उद्यान का निर्माण। | पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य | 15.01.2019 |
| 109— | वन— 06 | डॉ0 इरफान अंसारी | वाच टावर स्थापित करना। | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 15.01.2019 |
| 110— | शि— 03 | श्री नारायण दास | शिक्षक एवं शिक्षाकेतर कर्मी का पदस्थापन। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 11.01.2019 |

राँची,
दिनांक— 22 जनवरी, 2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–04/2015......695....../वि0स0, रांची, दिनांक– 21/01/19

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21.01.19

(अनिल कुमार)

उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–04/2015......695....../वि0स0, रांची, दिनांक– 21/01/19

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अपर सचिव प्रश्न तथा संयुक्त सचिव प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

21.01.19

उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–04/2015......695....../वि0स0, रांची, दिनांक– 21/01/19

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, आश्वासन समिति शाखा प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न क्रियावयन समिति शाखाा एवं वेबसाईट शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

21.01.19

उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

21/01/19

सुभाष

59

**श्री योगेश्वर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ० 03**

**क्या मंत्री,**
**उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–** **मंत्री–**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि बोकारो ईस्पात कारखाना के लिए 29 अप्रैल, 1964 में भू–अधिग्रहण अधिसूचना जारी कर कुल–36246 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया मगर आज तक विस्थापितों को सेल प्रबंधन द्वारा नियोजन सहित अन्य लाभ नहीं दिया गया है; | बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माणनार्थ 1956 से 1982 तक कुल–29827.02 एकड़ रैयती भूमि अर्जन किया गया है तथा 3600.215 एकड़ गैर मजरूआ एवं 778.46 एकड़ वन भूमि बोकारो इस्पात संयंत्र को हस्तांतरित है। इस कार्यालय में संधारित विस्थापितों के पारिवारिक पंजी के अनुसार अबतक कुल–16500 विस्थापितों को बी0एस0एल0 के द्वारा नियोजन दिया जा चुका है एवं शेष–10867 को नियोजन दिया जाना बाकी है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि श्री डी0पी0 महेश्वरी, श्री आर0जी0 वैश्य, सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव के पत्रांक–11803 दिनांक–26 जुलाई, 1983, पत्रांक–14957, दिनांक–17.09.1983 तथा तत्कालीन मुख्य नगर प्रशासक श्री के0एम0 जॉर्ज ने वर्ष 1964 में स्टील प्लांट के सभी चतुर्थ वर्गीय पदों में नौकरी देने की घोषणा की तथा दिनांक–10.11.1975 को सरकार के मुख्य सचिव श्री शरण सिंह की अध्यक्षता में 15 विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर विस्थापितों को छोटा–मोटा ठेका, 50% सीटी सेन्टर में व्यवसायिक प्लॉट, स्वरोजगार, नौकरी एवं पुर्नवास का पूरा हक दिलाने का निर्णय लिया गया, जिसे आज तक सेल प्रबंधन द्वारा नजर अंदाज किया गया है। | श्री डी0पी0 महेश्वरी, सरकार के विशेष सचिव, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक–17327, दिनांक–12.10.1979 के द्वारा वरीय पदाधिकारी कार्मिक (प्लान्ट) बोकारो स्टील लि0 से बी0एस0एल0 में सभी चतुर्थ वर्गीय पदों पर केवल विस्थापितों की ही नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है एवं श्री आर0सी0 वैश्य, सरकार के विशेष सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक–14957, दिनांक–17.09.1983 के द्वारा प्रबंध निदेशक, बोकारो स्टील लि0, से अनुरोध किया गया है कि वर्ग–4 के पदों पर सिर्फ विस्थापितों का ही नियोजन किया जाय, न कि अन्य बाहरी व्यक्तियों को। मुख्य नगर प्रशासक श्री के0 एम0 जार्ज के वर्ष 1964 में स्टील प्लांट के सभी चतुर्थ वर्गीय पदों में नौकरी देने की घोषणा–पत्र एवं दिनांक–10.11.1975 के बैठक से संबंधित जानकारी विभागीय पत्रांक–169, दिनांक–19.01.2019 द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना एवं पत्रांक–170, दिनांक–19.01.2019 द्वारा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि0, (सेल), बोकारो से मांगी गयी है। |
| 2 | यदि उर्पुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सक्षम पदाधिकारियों के आदेश का अनुपालन करने तथा विस्थापितों को शत प्रतिशत नियोजन दिलाने के लिए राज्य स्तरीय आयोग गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | बोकारो स्टील लि0, भारत सरकार का एक उपक्रम है। यह नीतिगत मामला है। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उद्योग विभाग**

ज्ञापांक–01 / ता0 प्रश्न–03–06 / 2019 180 राँची, दिनांकः– 21/01/2019

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–350 दिनांक–15.01.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव

(60)

**चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 22.01.2019 को श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–18 का उत्तर प्रतिवेदन।**

---

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत लेस्लीगंज प्रखण्ड के ग्राम–बसौरा में पोलिटनिक महाविद्यालय के निर्माण का कार्य एन0बी0सी0सी0 के द्वारा मे0 अरविन्द कात्यानी को दिया गया है; | – स्वीकारात्मक |
| 2. क्या यह बात सही है कि मे0 अरविन्द कात्यानी द्वारा स्थानीय अनुभवहीन ग्रामीणों को सबलेट पर कार्य आवंटित कर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है; | – अस्वीकारात्मक |
| 3. क्या यह बात सही है कि कार्य की गुणवत्ता पर संवेदक/एन0बी0सी0सी0 द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है; | – अस्वीकारात्मक |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदक / एन0बी0सी0सी0 पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | – पलामू में पोलिटेकनिक का निर्माण कार्य NBCCL द्वारा मे0 अरविन्द कत्याणी कंशट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। NBCCL के अनुसार यह कार्य सबलेट नहीं किया गया है। तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही है। विभाग द्वारा भी इसकी जॉच समय–समय पर तकनीकी टीम से करायी जा रही है। |

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–04/19 118 /राँची, दिनांक– 21.01.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 341 दिनांक 15.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.19
(सरकार के अवर–सचिव)

(61)

231
21/01/2019

**श्री रामकुमार पाहन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–01**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित रा0म0 विद्यालय, नावागढ़ एवं औरमांझी प्रखण्ड स्थित रा0म0 विद्यालय, बरतुवा को अब तक उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है तथा उक्त विद्यालयों के आसपास 10 मि0मी0 की परिधि तक एक भी उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण कई विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ जाता है। | अस्वीकारात्मक।<br>प्रश्नाधीन विद्यालयों से निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी निम्नवत् है :–<br><table><tr><th>क्र0 सं0</th><th>विद्यालय का नाम</th><th>निकटतम उच्च विद्यालय का नाम</th><th>विद्यालय से निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी</th></tr><tr><td>1</td><td>रा0म0 विद्यालय, नावागढ़</td><td>उच्च विद्यालय, गेतलसूद</td><td>06 कि0मी0</td></tr><tr><td>2</td><td>रा0म0 विद्यालय, बरतुवा</td><td>रा0उत्क्रमित उ0वि0, पिस्का, ओरमांझी</td><td>03 कि0मी0</td></tr></table><br>प्रश्नाधीन दोनों विद्यालय उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की अर्हता पूर्ण नहीं करते है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपरोक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है। |

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–02/2019. 231 रॉंची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

62

*श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 22.01.2019 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–11 का उत्तरः–*

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री अमित कुमार मंडल, सदस्य विधान सभा | *श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि सोसाईटीज एक्ट 21–1860 के तहत वॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन, झारखण्ड जिनका निबंधन सं०–657 वर्ष 2013–14 को निबंधित है; | विभाग से संबंधीत नहीं है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित बॉडी विल्डर्स द्वारा राज्य में युवाओं के शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य जागरूकता के साथ समय–समय पर प्रतियोगिता आयोजन करते आ रही है; | एतद् संबंधी सूचना विभाग अथवा क्रीड़ा निदेशालय को प्राप्त नहीं है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन में बॉडी विल्डर्स खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि देश के कई राज्यों में उक्त खेल को भी सम्मिलित किया गया है; | झारखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन एक स्वायत संस्था है। इसमें विभाग किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए खण्ड–1 में वर्णित एसोसिएशन को राज्य ओलम्पिक खेल में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कण्डिका–3 में निहित उत्तर के अनुरूप। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–11/2019 127 / राँची, दिनांक 21-01-2019

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 377/वि०स० दिनांक 15.01.19 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सरकार के विशेष सचिव**
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(63)

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**श्री पौलुस सुरीन, स.वि.स. से प्राप्त तारंकित प्रश्न संख्या- शि.-23**

| क्रमांक | प्रश्न<br>क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: - | उत्तर<br>डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय को विलय कर रही है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के पत्रांक F. No. 12-4/2016-EE.11 दिनांक 07.07.2017 के क्रम में विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आर.टी.ई. के मानक के अधीन छात्र हित में विद्यालयों का पुर्नगठन किया गया है। इसकी प्रशंसा नीति आयोग द्वारा किया गया है। प्रत्येक कक्षा हेतु प्रर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार की पुष्टि नैस (NAS) 2017-18, नीति आयोग 2018 तथा असर 2019 के प्रतिवेदन में स्पष्ट हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय पर दायर तीन जनहित याचिका (PIL) का निष्पादन इस नीति को सही मानते हुए किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि विद्यालयों के विलय कराने से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में हो रहे कठिनाईयों एवं पठन–पाठन में असुविधा तथा रोष व्याप्त हो रही है ; | अस्वीकारात्मक।<br>कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति चल रहे विद्यालयों को यथावत् बने रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

11/19

**सरकार के अवर सचिव**

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि.2-06/19 — 120/ राँची, दिनांक 21.01. 2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 344, दिनांक 15.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

64

228
21/01/2019

**श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-06**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्घी में नामांकित छात्र-छात्राओं के अनुरूप भवन की कमी है, एवं विद्यालय की घेराबंदी नहीं कराई गई है ; | वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दिग्घी में कक्षा नवम् एवं दशम् में कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या-113 है। चाहरदीवारी का निर्माण स्थानीय स्तर पर DMFT/माननीय सांसद/विधायक फंड से ही सम्भव है। भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं होती है। |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि वर्णित विद्यालय में भवन की कमी एवं विद्यालय में चाहरदिवारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; | प्रश्नाधीन विद्यालय में कुल नामांकित छात्र संख्या-707 है तथा वर्ग कक्ष-16 है। उत्क्रमण के बाद वर्ष 2011-12 में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दिग्घी में वर्तमान में 01 विज्ञान कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 कम्प्यूटर कक्ष तथा 01 आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष का निर्माण कराया गया है। वस्तुस्थिति कंडिका-01 में स्पष्ट है। वर्तमान अतिरिक्त भूखण्ड विस्तार हेतु उपलब्ध नहीं है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय में भवन निर्माण एवं विद्यालय की घेराबंदी का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। |

21/01/2019
**सरकार के अवर सचिव।**

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-04/2019 228 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
**सरकार के अवर सचिव।**

65

**श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत–12**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियमावली के तहत् रोस्टर का पालन करते हुए नियुक्ति का प्रावधान है। राँची विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 में विज्ञापन जारी कर विधिवत् तरीके से कांट्रेक्ट पर कर्मियों को नियुक्ति की गयी थी; | उत्तर स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राँची विश्वविद्यालय में 2018 में कार्यालय आदेश के तहत् मई, जुलाई, अगस्त एवं दिसम्बर, 2018 में लगभग दर्जन भर कर्मियों की नियुक्ति बिना किसी तरह के दक्षता परीक्षा के विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में वर्ग तीन एवं चतुर्थ वर्ग में कांट्रेक्ट पर नियुक्ति की गई है; | राँची विश्वविद्यालय का पत्रांक–5680 दि0–18.01.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय में कतिपय कर्मियों के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप कर्मियों की कमी हो गयी थी। कार्यालय कार्य को सुचारू रुप से सम्पन्न कराने हेतु अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर आवश्यकतानुसार कतिपय कर्मियों की सेवा ली जा रही है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि वर्षो से कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हो पा रही है और दैनिक कर्मियों की नियुक्ति बिना किसी नियमावली/रोस्टर पालन के किया जा रहा है; | विश्ववविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियुक्ति, प्रोन्नति आदि संबंधी परिनियम विभागीय पत्रांक–2148 दिनांक–16.11.2015 द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।<br>इसके आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश सभी विश्वविद्यालयों को विभागीय पत्रांक–2081 दिनांक–08.08.2017 एवं पत्रांक–2510 दिनांक–28.12.2018 द्वारा दिया गया है। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विश्वविद्यालय में कर्मियों की स्थायी नियुक्ति करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | उत्तर उपरोक्त कंडिका–3 में सन्निहित है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक 1/वि0स0–10/2019.....160...../ राँची दिनांक–.....21/01/19...../

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–361 दिनांक–15.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

66

226
21/01/2019

**श्री ढुलू महतो, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-08**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राजकीय मध्य विद्यालय, कपुरिया बाघमारा क्षेत्र का प्रमुख विद्यालय है जहाँ क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करते है ;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय, कपुरिया, बाघमारा में वर्ग 6-8 तक कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या-190 है। इस तरह कक्षा 09 के लिए औसत रूप से अधिकतम 64 विद्यार्थी उपलब्ध होगे। माध्यमिक विद्यालयों में ग्यारह (11) शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस तरह शिक्षक बिना पर्याप्त कार्य के रह जायेगें। प्रति छात्र वार्षिक व्यय लगभग एक लाख हो जायेगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि कपुरिया एवं आस-पास के छात्र-छात्राओं को उच्च विद्यालय की शिक्षा हेतु काफी दूर जाना पड़ता है जिससे उनका पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ;</td><td>मध्य विद्यालय, कपुरिया से निकटतम उच्च विद्यालयों की दूरी निम्नवत् हैः-
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>विद्यालय का नाम</th><th>निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी</th><th>वर्ग-9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्रों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बी0टी0एम0 उच्च विद्यालय, मलकेरा</td><td>8 कि0मी0</td><td>417</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उच्च विद्यालय, पुटकी</td><td>5 कि0मी0</td><td>767</td></tr>
<tr><td>3</td><td>के0बी0आर0 उच्च विद्यालय, महुदा</td><td>6 कि0मी</td><td>141</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय, महुदा (स्थापना अनुमति)</td><td>6 कि0मी</td><td>688</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय मध्य विद्यालय, कपुरिया को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>मध्य विद्यालय, कपुरिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय, पुटकी तथा 6 किलोमीटर की दूरी के0बी0आर0 उच्च विद्यालय, महुदा संचालित है। प्रश्नाधीन विद्यालय उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की अर्हता पूर्ण नहीं करता है।</td></tr>
</table>

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-16/2019 226 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

(67)

**श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 22.01.2019 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–04 का उत्तरः–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री जगरनाथ महतो, सदस्य विधान सभा | *श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु निर्माण कार्य वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ था, जो अभी तक अपूर्ण है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>कार्य प्रारंभ होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 29.11.2010 द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्य स्थगित है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित निर्माणाधीन स्टेडियम हेतु 3.20 एकड़ भूमि अधिगृहित किया गया था, तथा मुआवजा राशि का भी भुगतान रैयतों को कर दिया गया है; | माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.10 को पारित आदेश में उल्लेखित है कि "the land will not be used by the state until it is acquired legally".<br>उपायुक्त, गिरिडीह को प्रेषित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 74/भू०अ०, दिनांक 19.01.2019 अनुसार 0.27 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 38,14,623/– रूपये का आवंटन विभागीय आवंटनादेश सं० 09/आ० दिनांक 05.06.14 द्वारा जिला को उपलब्ध कराया जा चुका है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पुनः अतिरिक्त राशि की अधियाचना के क्रम में विभागीय पत्रांक 264 दिनांक 10.05.18 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गई है जिसके प्राप्तोपरान्त भू–अर्जन के निमित अतिरिक्त याचित राशि के स्वीकृति पर नियमानुकूल निर्णय लियाा जा सकेगा। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि अधिगृहित भूमि का मुआवजा रैयतों द्वारा लिए जाने के बाद भी निर्माणाधीन स्टेडियम की भूमि पर रैयतों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण निर्माण कार्य बंद है; | कण्डिका–2 में उत्तर निहित है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अधिगृहित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर स्टेडियम निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कण्डिका–1 एवं 2 के अनुरूप। |

**झारखण्ड सरकार**

**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–04/2019 124 / राँची, दिनांक 21-01-2019

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 158/वि०स० दिनांक 13.01.19 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

#68

**श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-11**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही एवं चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय में महिला महाविद्यालय नहीं है; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं रहने वाले गरीब छात्राओं को महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है; | आंशिक स्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र ही बरही एवं चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | विभागीय संकल्प संख्या-2010 दिनांक-12.10.2015 द्वारा राज्य के वैसे जिलों, जहाँ पूर्व से कोई भी महिला महाविद्यालय कार्यरत नहीं है, उन जिलों में महिला महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग जिला अन्तर्गत के0बी0 वीमेन्स कॉलेज, हजारीबाग पूर्व से ही संचालित है। साथ ही हजारीबाग जिलान्तर्गत अंगीभूत इकाई के रूप में संत कोलम्बस कॉलेज, हजारीबाग एवं मारवम कॉलेज, हजारीबाग में छात्र-छात्राओं के लिए पठन-पाठन की व्यवस्था है।<br>विभागीय आदेश ज्ञापांक-1956 दिनांक-07.09.2016 के द्वारा बरही विधान सभा अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय के स्थापना की सहमति दी गयी है एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। |

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-13/2019.....157...../ रांची दिनांक-.....21/01/19...../

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-366 दिनांक-15.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(69)

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–06 का प्रश्नोत्तरः

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड अन्तर्गत अति प्राचीन मंदिर देवपहाड़ी मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते है; | 1. | **आंशिक स्वीकारात्मक**<br>यहाँ वर्ष भर श्रद्वालुओं का आगमन होता है। यहाँ धर्मिक अनुष्ठान व संस्कार संपन्न होता है परंतु पर्यटकों की संख्या का आकलन/डाटा उपलब्ध नहीं है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मंदिर का पर्यटकीय विकास नहीं होने के कारण आने वाले पर्यटकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है; | 2. | **आंशिक स्वीकारात्मक** |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अति प्राचीन मंदिर देवपहाड़ी को पर्यटकीय विकास कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 3. | इस प्रकार के स्थलों पर आवश्यक सुविधा निर्माण के लिए जिला पर्यटन संवर्धन समिति जिसमें स्थानीय विधायक व सांसद भी सदस्य हैं, को विभाग में उपलब्ध निधि के अनुसार अनबद्ध रूप से राशि आवंटित की जाती है। इस समिति द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए तद्नुसार जिलान्तर्गत इस प्रकार के स्थलों/पर्यटक स्थलों का आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराया जाता है।<br>जिला पर्यटन संवर्धन समिति, (DTPC) गिरिडीह को आवंटनादेश सं०–70, दिनांक–24.03.2018 द्वारा ₹1,00,00,000.00 तथा आवंटनादेश सं०–54, दिनांक–28.12.2018 द्वारा ₹1,00,00,000.00 Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, अतः इस स्थल का विकास कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति, के निर्णय पर निर्भर करेगा। |

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/06/2019 133 /राँची, दिनांक 21-01-2019

**प्रतिलिपिः–** उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–161/वि०स०, दिनांक–13/01/2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

225
21/01/2019

**श्री कुणाल षडंगी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-20**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि जे0एस0एस0सी द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें जो खाली रह गई है उन्हें भरा नहीं जा रहा है जबकि नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि खाली सीटों को सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा ; | अद्यतन वस्तुस्थिति निम्न है :- |

| क्र0 | जिला का नाम | सीधी 75% पद संख्या | JSCC द्वारा अनुशंसित संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | दुमका | 657 | 409 |
| 2 | जामताड़ा | 376 | 219 |
| 3 | पाकुड़ | 349 | 227 |
| 4 | साहेबगंज | 444 | 242 |
| 5 | गोड्डा | 694 | 384 |
| 6 | देवघर | 515 | 282 |
| 7 | लातेहार | 419 | 211 |
| कुल | | **3454** | **1974** |

उक्त से स्पष्ट है कि सीधी नियुक्ति के लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध मात्र 57.15% ही सुयोग्य अभ्यर्थी प्राप्त है। इस तरह सीधी नियुक्ति के पद ही नहीं भरे है। वैसे स्थिति में अन्य श्रेणी में चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

| | | |
|---|---|---|
| 2 | क्या यह बात सही है कि 25% PRT सीटें झारखण्ड के प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित है तो संवैधानिक क्षैतिज एवं कानूनी रूप से इसे झारखण्ड के मूल निवासी एवं स्थानीय निवासी से भरा जाना है ; | कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट की गई है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें जो खाली रह गई है उन्हें भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट की गई है। |

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-15/2019 225 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**श्री अशोक कुमार, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-05**

| क्रमांक | प्रश्न<br>क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: - | उत्तर<br>डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय धनकुढ़ीया (छोटी) को उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनकुढ़ीया (बड़ी) में विलय किया गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि विद्यालय को विलय करने के लिये कुछ मापदण्ड निर्धारित किये गए है, जिसमें एक मापदण्ड. वैसे प्राथमिक/मध्य विद्यालय जिनमें 21 से 60 छात्र/छात्रा अध्ययनरत हों तथा 500 मीटर में अन्य विद्यालय अवस्थित हो; | स्वीकारात्मक।<br>इसके साथ-साथ यह भी निर्धारित था कि ऐसे विद्यालय जहाँ 21-40 हैं तथा दूरी 1 कि.मी. के अधीन दूसरा विद्यालय है। वह भी विलय किया जा सकता है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि मेहरमा प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय धनकुढ़ीया (छोटी) में कुल 74 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है एवं वहाँ से दूसरे विद्यालय की दूरी 900 मीटर है; | अस्वीकारात्मक।<br>प्राथमिक विद्यालय धनकुढ़ीया (छोटी) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या औसतन 40 थी एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनकुढ़ीया की दूरी 700 मी. है। यह नियमानुसार है। गोड्डा जिला के प्रारंभिक शिक्षा समिति के दिनांक 23.04.2018 के बैठक की कार्यवाही में विद्यालय विलय की अनुशंसा है।<br>वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा ने स्थल जांच में यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालय धनकुढ़ीया (छोटी) के 500-700 मी. के दूरी पर दो मध्य विद्यालय क्रमशः उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनकुढ़ीया तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भैरोनगर है। प्राथमिक विद्यालय धनकुढ़ीया के विद्यार्थी सुविधानुसार दोनों में नामांकित हो चुके हैं। यह आर.टी.ई. के नियमों के अधीन है। |
| 4. | क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित विद्यालय को जिस विद्यालय में विलय किया गया है वहाँ जाने का एक मात्र रास्ता | ग्रामीण क्षेत्र का पी.डब्ल्यू.डी. का पथ है। उक्त पथ पर सामान्य आवागमन होता है। पथ के दोनों तरफ ग्रामीणों का आवास है। |

Khurshid

| | | |
|---|---|---|
| | घेरीचक–बेलवड्डा PWD मुख्य पथ से है जहाँ वाहनों का आवागमन काफी अधिक होता है। ऐसी स्थिति में छोटे–छोटे बच्चों को विलय किये गए स्कूल तक आने–जाने में दुर्घटना का खतरा बना रहेगा, | |
| 5. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय धनकुढ़ीया (छोटी) का विलय स्थगित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

ह०/- 21/1/19

**सरकार के अवर सचिव**

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक 15/वि.2-01/19 – 121......./ राँची, दिनांक 21.01. 2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 92, दिनांक 11.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 21/1/19

**सरकार के अवर सचिव**

Khurshid

72

**श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02**

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

| क0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1- | क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला के नदियों से बालू का अत्यधिक उत्खनन होने के कारण भूतल जलस्तर काफी नीचे चला गया है एवं नदियों से उपलब्ध सिंचाई हेतु जल स्रोत मृत हो गया है; | उत्तर अस्वीकारात्मक है।<br>गोड्डा जिला में बालू घाटों की स्थिति निम्नवत् है:–<br>गोड्डा जिला अन्तर्गत वर्तमान में एक भी बालूघाट संचालित नहीं है। वर्ष–2015 में निदेशानुसार उपायुक्त, गोड्डा द्वारा दिनांक– 30.04.2015 एवं 03.05.2015 को आम नीलामी के माध्यम से कुल 38 बालूघाटों की बन्दोबस्ती की गई थी, जिसमें 17 बालूघाटों की अवधि माह सितम्बर, 18 को समाप्त हो गई है। अवधि समाप्ति के पूर्व मॉनसून सत्र प्रारम्भ हो जाने के कारण दिनांक– 10.06.2018 से ही बालूघाटों का संचालन पूर्णतः बंद है। इस प्रकार 10.06.2018 के पश्चात गोड्डा जिला के सभी बालूघाटों से बालू उठाव बंद है।<br>उल्लेखनीय है कि बालूघाटों का संचालन अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप ही किया जाता है तथा बालूघाट के लिए पर्यावरणीय सहमति एवं सी0टी0ओ0 प्राप्त करने के पश्चात ही बालूघाट का संचालन किया जाता है। |
| 2- | यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू के अत्यधिक उत्खन एवं बालू उठाव पर अविलम्ब रोक लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? | झारखण्ड सरकार द्वारा Environmentally sustainable and social centric sand mining के उद्देश्य से Jharkhand State Sand Mining Policy 2017 अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत Category-I के बालू घाटों को निजी/सरकारी कल्याणकारी एवं सामुदायिक उपयोग हेतु लीज बंदोबस्ती से मुक्त रखा गया है।<br>साथ ही बालू के व्यावसायिक उपयोग हेतु Category-II बालू घाटों का प्रबंधन एवं संचालन राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा बालू घाटों का संचालन/प्रबंधन हेतु सभी वैधानिक अनापत्तियों/सहमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। |

**झारखण्ड सरकार**
**खान एवं भूतत्व विभाग**

ज्ञापांकः– वि0स0(ता0)–02/19 130 /एम0, राँची, दिनांक– 20/01/2019

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 346 दिनांक 15.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.19
सरकार के संयुक्त सचिव

(73)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-02

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत बेड़ो प्रखंड में महिला महाविद्यालय नहीं है; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण वहाँ की ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राँची आना पड़ता है, जिससे गरीब छात्राओं को अनेको प्रकार की समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं; | अंशतः स्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बेड़ो प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2010 दिनांक-12.10.2015 द्वारा राज्य के वैसे जिले, जहाँ पूर्व से कोई भी अंगीभूत अथवा सम्बद्ध महिला महाविद्यालय कार्यरत नहीं हैं, वहाँ महिला महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है।<br>राँची जिला अन्तर्गत महिला महाविद्यालय के रूप में महिला महाविद्यालय, राँची; मारवाड़ी महाविद्यालय (वीमेन्स सेक्शन), राँची एवं निर्मला महाविद्यालय, राँची कार्यरत हैं।<br>साथ ही राँची जिला अन्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड में के0सी0बी0 कॉलेज बेड़ो अंगीभूत इकाई के रूप में पूर्व से ही कार्यरत है, जहाँ छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की व्यवस्था है।<br>वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर महिला महाविद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक 1/वि0स0-07/2019.....143...../ राँची दिनांक-.....18/01/19...../

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-97 दिनांक-11.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

74

**श्री शिवशंकर उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ० 02**

**क्या मंत्री,**
**उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–** **मंत्री–**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ मोमेंटम झारखण्ड के रूप में वृहत पैमाने पर औद्योगिक इकाईयों को आमंत्रित किया गया था, साथ ही औद्योगिक इकाईयों द्वारा एक लाख करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; | स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि गुमला जिला में अब तक किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं हुआ है; | गुमला जिला में सर्वश्री जायसवाल पी0सी0सी0 पोल इण्डस्ट्रीयल एरिया, पुग्गू में स्थापित एवं कार्यरत है। एक अन्य इकाई प्रिमियर इण्डस्ट्रीज टैसेरा, गुमला राईस मिल प्रस्तावित है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि जिले पठारी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में बॉक्साईड एवं अन्य बेसकीमती खनिज जैसे हीरा आदि के भंडार मौजूद है तथा वनोपज की दृष्टि से लाह, साल बीज, इमली आदि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है; | स्वीकारात्मक है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला में उद्योग स्थापित कराकर क्षेत्र के लोगों को रोजी–रोजगार का अवसर प्रदान करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | गुमला जिला में उद्योग स्थापित कर क्षेत्र के लोगों को रोजी रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार तत्पर है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उद्योग विभाग**

ज्ञापांक–01/ता0 प्रश्न–03–04/2019 167 राँची, दिनांकः– 19/01/2019

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–162 दिनांक–13.01.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/19
सरकार के संयुक्त सचिव

(75)

श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–16 का प्रश्नोत्तरः

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान सभा के बगोदर प्रखण्ड अन्तर्गत जुरमुने पंचायत में स्थित हरिहर धाम, सरिया प्रखण्डधीन शिवशक्ति धाम एवं राजदाह धाम तथा बिरनी प्रखण्ड के सलैयडीह स्थित डबर सैनी धाम में प्रतिदिन हजारों श्रद्यालुओं का आगमन होता है; | 1. | **आंशिक स्वीकारात्मक**<br>हरिहर धाम के शिवमंदिर एवं विवाह मण्डप में प्रतिदिन 250–300 लोगों का आगमन होता है, शुभ तिथि, विशेष महत्व के दिवस एवं शादी की तिथियों में यह संख्या बढ जाती है।<br>शिवशक्ति धाम में शिवजी का मंदिर है। यहाँ विशेष महत्व के दिनों में लगभग हजारों की संख्या में श्रद्वालु आते है।<br>बराकर नदी के नट पर राजदाह धाम प्राकृतिक सौन्दर्य का स्थानीय पर्यटन स्थल है। शादी के समय यहाँ अधिक पर्यटक आते है।<br>डबर सैनी धाम में भी शिवमंदिर है। यहाँ भी विशेष महत्व के दिनों में विशेष पूजा हेतु श्रद्वालु आते है। तीनों स्थलों पर कभी–कभी मेला लगता है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सभी धामों की अदभूत प्राकृतिक सौन्दर्यता है जहाँ पर्यटन विकास की असीम संभावनाये मौजूद है; | 2. | **आंशिक स्वीकारात्मक** |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में खण्ड–1 में उद्धीत धामों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 3. | इस प्रकार के स्थलों पर आवश्यक सुविधा निर्माण के लिए जिला पर्यटन संवर्धन समिति जिसमें स्थानीय विधायक व सांसद भी सदस्य हैं, को विभाग में उपलब्ध निधि के अनुसार अनबद्ध रूप से राशि आवंटित की जाती है। इस समिति द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए तद्नुसार जिलान्तर्गत इस प्रकार के स्थलों/पर्यटक स्थलों का आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराया जाता है।<br>जिला पर्यटन संवर्धन समिति, (DTPC) गिरिडीह को आवंटनादेश सं०–70, दिनांक–24.03.2018 द्वारा ₹1,00,00,000.00 तथा आवंटनादेश सं०–54, दिनांक–28.12.2018 द्वारा ₹1,00,00,000.00 Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, अतः इन स्थल का विकास कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति, गिरिडीह के निर्णय पर निर्भर करेगा। |

**झारखण्ड सरकार**

**पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/16/2019...120.../राँची, दिनांक...21/01/2019...

**प्रतिलिपिः–** उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–373/वि०स०, दिनांक–15/01/2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

(76)

**श्री शिवशंकर उराँव, स० वि० स० द्वारा दिनांक– 22.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– वन–04 का उत्तर :–**

| क्र० सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | क्या यह बात सही है, कि केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनभूमि पर अधिकारिता) अधिनियम 2006 पारित किया है और वह पूरे देश में लागू है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम में वर्ष 2007 एवं 2012 में संशोधन करके वनभूमि पर अधिकारिता में वृद्धि की गई है; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम के तहत् ऐसे परम्परागत वननिवासियों जो वनभूमि पर वर्ष 2005 ई० से पूर्व रहते आये है, वन निवासियों को व्यक्तिगत एवं सामूदायिक वनाधिकार पट्टा के साथ–साथ वनों की अभिरक्षण, संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार भी दिया जाना है; | स्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में कितने ऐसे वननिवासियों को वनभूमि / वनों पर व्यक्तिगत एवं सामूदायिक वनाधिकार पट्टा प्रदान किए गए है का जिलावार विस्तृत आंकड़ा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राज्य में कुल 59866 व्यक्तिगत एवं 2104 सामुदायिक कुल 61970 वनभूमि पट्टों का वितरण किया गया है। जिलावार विवरणी निम्नवत् है :–<br>* **व्यक्तिगत–व्य० एवं सामुदायिक–सा० द्वारा दर्शाया गया है।**<br>गढ़वा–1668व्य० 981सा०, चतरा–1399 व्य० 23सा०, कोडरमा–384व्य० 13सा०, गिरिडीह– 6538व्य० 7सा०, देवघर–593व्य० 2सा०, गोड्डा– 1070व्य० 246सा०, साहेबगंज– 1467व्य० 120सा०, पाकुड़– 909व्य० 0सा०, धनबाद– 1112व्य० 87सा०, बोकारो– 871व्य० 3सा०, लोहरदगा– 739व्य० 36सा०, पू०सिंहभूम– 3508व्य० 5सा०, पलामू– 4803व्य० 11सा०, लातेहार– 3222व्य० 0सा०, हजारीबाग– 3567व्य० 327सा०, रामगढ़– 690व्य० 0सा०, दुमका– 3961व्य० 6सा०, जामताड़ा– 1058व्य० 3सा०, राँची–1617व्य० 23सा०, खूँटी– 734व्य० 65सा०, गुमला– 47व्य० 12सा०, सिमडेगा– 9632व्य० 26सा०, प०सिंहभूम– 6186व्य० 88सा० सरायकेला– 2391व्य० 20सा० |

**झारखण्ड सरकार**

**अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।**

ज्ञापांक:–04 / व०अ०अधि०(वि०स०)–01 / 2019 284 राँची, दिनांक:– 21/01/19

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 167, दिनांक:– 13.01.2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–04 / व०अ०अधि०(वि०स०)–01 / 2019 284 राँची, दिनांक:– 21/01/19

प्रतिलिपि:– विशेष कार्य पदाधिकारी, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक– 195, दिनांक– 16.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एस० के० लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sunny\Dilip sir\Vidhan Sabha Q..rtcu

77

## श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-03

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि आदर्श महिला महाविद्यालय खरसावाँ (कोल्हान विश्वविद्यालय) में उड़िया, हो एवं कुरमाली भाषा की पढ़ाई के शिक्षकों का पद सृजन नहीं होने के कारण पढ़ाई बंद हो गयी है;</td><td>उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है।<br>उड़िया, हो एवं कुरमाली भाषा में शैक्षणिक सत्र 2017-20 तक नामांकित छात्रों की पढ़ाई हो रही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खरसावाँ एवं आसपास के क्षेत्रों में इन विषयों के छात्रों की संख्या काफी अधिक है, जो प्रतिवर्ष नामांकन से वंचित हो रहे हैं;</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।<br>विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में इन भाषाओं में अध्ययन की इच्छुक नामांकित छात्रों की संख्या काफी कम रही है, जो निम्न तालिका से स्वतः स्पष्ट है:-
<table>
<tr><th rowspan="2">भाषा का नाम</th><th colspan="4">सत्रवार नामांकित छात्रों की संख्या</th></tr>
<tr><th>2015-18</th><th>2016-19</th><th>2017-20</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>हो</td><td>9</td><td>56</td><td>31</td><td>96</td></tr>
<tr><td>उड़िया</td><td>9</td><td>27</td><td>8</td><td>44</td></tr>
<tr><td>कुरमाली</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td></tr>
</table>
इन भाषाओं में अध्ययन के प्रति छात्रों का रूझान कम होने के कारण इन भाषाओं के लिए शिक्षकों का पद सृजन नहीं किया गया है। सत्र 2018-21 से इन भाषाओं में नामांकन नहीं लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आदर्श महिला महाविद्यालय, खरसावाँ में खण्ड-1 में वर्णित विषयों के पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?</td><td>उत्तर उपरोक्त कंडिका-2 में सन्निहित है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-03/2019.....161...../ रांची दिनांक-.....21/01/19...../

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-90 दिनांक-11.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

78

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**श्रीमती विमला प्रधान, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-14**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -** | **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत् रसोईयों को मानदेय पर रखा गया है और इस कार्य को महिला समूह की महिलाएँ कार्य करती है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सरस्वती-वाहिनी संचालन समिति के द्वारा किया जाता है तथा इसके अंतर्गत रसोईया-सह-सहायिकाएँ कार्यरत रहती हैं, जिनका चयन विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के माताओं में से ही किया जाता है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इन्हें काम के बदले 1500/- रुपये मानदेय दी जाती है जो कि प्रत्येक माह नहीं मिलता है; | स्वीकारात्मक।<br>यह योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत रसोईया के मानदेय के लिए रुपये 1000/- प्रति माह, प्रति रसोईया की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच स्वीकृत राशि का व्यय भार 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में इस मद में रुपये 8157.70 लाख स्वीकृत हैं। इस राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रति माह प्रति रसोईया अतिरिक्त मानदेय भुगतान राज्य योजना मद से किया जाता है, जिसके अंतर्गत रुपये 4014.04 लाख स्वीकृत है। इस तरह प्रति रसोईया 1500/- रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे रसोईया-सह-सहायिका का मानदेय भुगतान किया जाता है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए प्रत्येक माह नियमित भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उत्तर कंडिका-02 में स्पष्ट है। |

18.1.19
**सरकार के अवर सचिव**

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**ज्ञापांक** 103 / **राँची,** **दिनांक** 18/01/ **2019**

**प्रतिलिपिः** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 356, दिनांक 15.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.19
**सरकार के अवर सचिव**

Khurshid

(80)

## श्री केदार हाजरा, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-04

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सभी विधान सभा क्षेत्र में एक अंगीभूत डिग्री कॉलेज की स्थापना करना है; | अंशतः स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक-1956 दिनांक-07.09.2016 द्वारा राज्य के वैसे विधान सभा क्षेत्र, जहाँ कोई भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, उन विधान सभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय के स्थापना एवं निर्माण हेतु सैद्धान्तिक सहमति दी गयी है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा में एक भी सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है; | स्वीकारात्मक है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं रहने से स्थानीय गरीब छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है; | अस्वीकारात्मक है। जमुआ विधान सभा क्षेत्र में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त लंगटा बाबा महाविद्यालय, मिर्जागंज स्थित है, जहाँ छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की व्यवस्था है। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमुआ विधान सभा क्षेत्र में सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय खोलने पर विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | विभागीय पत्रांक-1956 दिनांक-07.09.2016 द्वारा जमुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, जमुआ की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया था। इसके तहत् जमुआ विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक 1/वि0स0-04/2019.....154...../ रांची दिनांक-.....21/01/19...../

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-163 दिनांक-13.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(81)

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**श्रीमती सीमा देवी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-02**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -** | **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के हारिन पंचायत स्थित लोवाडीह गाँव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अत्यधिक जर्जर हो चुके है, इसके बावजूद भी बच्चों के उक्त भवन में पढ़ाई करना मजबूरी है, जबकी वहाँ कभी भी खतरे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>प्राथमिक विद्यालयए लोवाडीह में 02 कमरे मरम्मति योग्य है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण/मरम्मति वर्तमान वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | प्राथमिक विद्यालय, लोवाडीह को वर्ष 2012-13 में 03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के लिए निमारण हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू. 546750.00 निर्गत किये गये थे, परन्तु उक्त राशि ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालय लोवाडीह के द्वारा कार्यालय में निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण वापस कर दी गई। |

21/1/19

**सरकार के अवर सचिव**

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक 15/प्र.2-04/19 - 119...../ राँची, दिनांक 21.01. 2019

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 91, दिनांक 11.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

**सरकार के अवर सचिव**

Khurshid

(82)

**श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत–07**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा में स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्रों को पी0जी0 की पढ़ाई के लिए दुमका, धनबाद एवं राँची जाना पड़ता है, जो गरीब छात्रों के लिए संभव नहीं है, इस कारण से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं; | अंशतः स्वीकारात्मक है। सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अन्तर्गत स्नातकोत्तर (पी0जी0) की पढ़ाई स्नातकोत्तर विभाग, दुमका, दवेघर कॉलेज, देवघर, ए0एस0 कॉलेज, देवघर, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा तथा साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज में संचालित है। |
| 2. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा में स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई अगले सत्र से प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ? | झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित) की धारा–4(17) के प्रावधान अनुसार आधारभूत संरचना के आलोक में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक 1/वि0स0–08/2019....155..../ रांची दिनांक–....21/01/19..../

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–363 दिनांक–15.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(83)

*श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 22.01.2019 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–02 का उत्तरः–*

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्रीमती सीमा देवी, सदस्य विधान सभा | *श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड स्थित स्व० सुनील महतो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विगत 18,19, एवं 20 दिसम्बर 2018 को गुंज महोत्सव के आयोजन में लगभग 3000 छऊ नृत्य कलाकारों द्वारा नृत्य किया गया; | जनकारी उपलब्ध नहीं है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु विभाग द्वारा अनुमति दी गयी है तथा कार्यक्रम के आयेजन से मैदान में लगे कृत्रिम घास के साथ राजस्व की भी क्षति हुई है; | विभाग अथवा विभाग के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय/प्राधिकार से अनुमति प्रदान नहीं की गई है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुंज महोत्सव के आयोजन हेतु अनुमति देने वाले पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों पर क्षति प्रतिपूर्ति एवं कार्रवाई का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कंडिका–1 एवं 2 में उत्तर निहित है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–03/2019 123 /                    राँची, दिनांक 21-01-2019

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 96/वि०स० दिनांक 11.01.19 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

84

*श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 22.01.2019 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–10 का उत्तर:–*

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री अमित कुमार मंडल, सदस्य विधान सभा | *श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि गोड्डा मुख्यालय में एक कला संस्कृति भवन निर्माण के लिए अपर सचिव कार्यालय के ज्ञापांक 100 दिनांक 29.05.17 के आलोक में योजना लम्बित है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अब तक जिला प्रशासन द्वारा भूमि चिन्हित नहीं किया जा सका है; | मौजाः गंगटा खुर्द, थाना नं०–515, खाता सं०–106 गैर मजरूआ दाग सं०–1054, रकबा–02–14–10 धूर, किस्म– परती कदीम का अंश रकबा–0.0826 एकड़ भूमि खाली है, जिसे जिला द्वारा चिन्हित किया गया है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि मौजा गंगटा खुर्द दाग नं०–1054 में अंचलाधिकारी गोड्डा द्वारा खण्ड–1 के आलोक में भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा जा चुका है; | स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चिन्हित भूमि पर जल्द कला संस्कृति भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | विभाग द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला के संवर्द्धन हेतु अखड़ा का निर्माण कराया जाता है, जिस निमित विभागीय पत्रांक 100 दिनांक 29.05.17 द्वारा जिला से भूमि विवरणी सहित विधिवत् प्रस्ताव की मांग की गई है, जिसके प्राप्तोपरान्त बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–10/2019 125 / राँची, दिनांक 21-01-2019

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 376/वि०स० दिनांक 15.01.19 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

85

224
21/01/2019

**श्रीमती बबीता देवी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-07**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिला अंतर्गत प्रखण्ड कसमार, पंचायत मंजुरा स्थित बिनोद बिहारी महतो स्मारक इंटर कॉलेज को वर्ष 2016 में स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त हुई है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त इंटर कॉलेज में सप्रमाण छात्रों की कुल संख्या-360 है, अनुदान राशि के ऑनलाईन आवेदन में भी कुल छात्र संख्या-360 है लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय, बोकरो के प्रतिवेदन में छात्र संख्या-193 दर्शाया गया है, जिसके कारण कॉलेज को सत्र-2017-2018 के अनुदान राशि से वंचित रखा गया है ; | वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान हेतु बिनोद बिहारी महतो स्मारक इंटर कॉलेज, मंजूरा, कसमार, बोकारो द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कक्षा 11 में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या-100 तथा कक्षा 12 में पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या-260 दर्शायी गई है। विद्यालय द्वारा दर्शाया गया संख्या की पुष्टि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन से नहीं होती है। यह संशय उत्पन्न करता है।<br>विभागीय अनुदान समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान हेतु छात्र संख्या की गणना के संबंध में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :- "कक्षा 11 एवं 12 में निबंधित छात्रों की संख्या में जहाँ काफी अंतर है, वहाँ जो संख्या कम है (Pre कक्षा 11 का **Double** पर) कुल छात्र संख्या की गणना की जा रही है।"<br>विभागीय अनुदान समिति के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-810 दिनांक 11.05.2015 में सामान्य स्तर के इंटर महाविद्यालयों के लिए निर्धारित न्यूनतम छात्र संख्या-250 से कम छात्र होने के फलस्वरूप बिनोद बिहारी महतो स्मारक इंटर कॉलेज, मंजूरा, कसमार, बोकारो को अनुदान की स्वीकृति नहीं दी गई है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त इंटर कॉलेज को सत्र 2017-2018 के अनुदान की राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है। |

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-03/2019 224 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

**श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत–1**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत माण्डर प्रखंड में महिला महाविद्यालय नहीं है; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण वहाँ की ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राँची आना पड़ता है, जिससे गरीब छात्राओं को अनेको प्रकार की समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं; | अंशतः स्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बेड़ो प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2010 दिनांक–12.10. 2015 द्वारा राज्य के वैसे जिले, जहाँ पूर्व से कोई भी अंगीभूत अथवा सम्बद्ध महिला महाविद्यालय कार्यरत नहीं हैं, वहाँ महिला महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है।<br>राँची जिला अन्तर्गत महिला महाविद्यालय के रूप में महिला महाविद्यालय, राँची; मारवाड़ी महाविद्यालय (वीमेन्स सेक्शन), राँची एवं निर्मला महाविद्यालय, राँची कार्यरत हैं।<br>साथ ही राँची जिला अन्तर्गत माण्डर प्रखण्ड में माण्डर कॉलेज, माण्डर एवं बेड़ो प्रखण्ड में के0सी0बी0 कॉलेज, बेड़ो अंगीभूत इकाई के रूप में पूर्व से ही कार्यरत है, जहाँ छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन की व्यवस्था है।<br>वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर महिला महाविद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक 1/वि0स0–06/2019 144 / राँची दिनांक– 18/01/19/

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–89 दिनांक–11.01. 2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

87

**श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–07 का उत्तर सामग्री :–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में 545 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल की कुल वन भूमि 64123 हेक्टेयर है, जिसकी रखवाली के लिए स्वीकृत 54 वन रक्षकों अधिकांस वनरक्षकों की पद अभी भी खाली है ; | भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का वन स्थिति प्रतिवेदन 2017 के अनुसार बोकारो जिला में वनावरण का कुल रकबा 570 वर्ग कि0मी0 है। बोकारो वन प्रमण्डल के अधीन वनरक्षियों का कुल स्वीकृत बल 54 है। वर्तमान में 25 वनरक्षी कार्यरत है एवं वनरक्षी के 29 पद रिक्त है। उक्त 25 कार्यरत वनरक्षियों में से 24 की नियुक्ति वर्ष 2017 में की गई है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि जिले के नौ प्रखण्डों में से सात उग्रवाद प्रभावित प्रखण्डों में आच्छादित वन की रखवाली के लिए इसे छः रेंजों में बाँटा गया है, जहाँ विभागीय दस्तावेजों के अनुसार पूरी भूमि पर पेड़, पौधे एवं जंगल हैं, जो वास्तविक सच नहीं है ; | वनों के प्रभावी प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु बोकारो जिले को छः प्रक्षेत्रों–पेटरवार, गोमिया, बेरमो, तेनुघाट, चास एवं बोकारो प्रक्षेत्र, में बाँटा गया है। बोकारो जिले में वन स्थिति प्रतिवेदन 2017 के अनुसार 61 वर्ग कि0मी0 अत्यंत सघन वन, 232 वर्ग कि0मी सामान्य सघन वन एवं 277 वर्ग कि0मी0 खुले वन है। |
| (3) क्या यह बात सही है कि वन क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा दायित्व ग्रामीणों द्वारा बनाया गया वन सुरक्षा समितियों के हाथों में है, जिसे आजतक मानदेय भी नहीं दिया गया है ; | वनों की सुरक्षा में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3658 दिनांक–27.09.2001 के आलोक में ग्राम वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। बोकारो प्रमण्डल के अन्तर्गत कुल–373 वन समितियाँ कार्य कर रही हैं। समिति के सदस्यों को मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है। |
| (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वन सम्पदा से भरे इस जिले में सघन वन रोपण कर, तत्संबंधी आवश्यक कमियों को दूर करने हेतु पर्यावरण को सुरक्षित एवं वन सम्पदा को सुरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्रीय वन कर्मियों के द्वारा गश्ती/निरीक्षण आदि सुरक्षात्मक कार्य के साथ–साथ वनों की सुरक्षा/संवर्द्धन हेतु चालू योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–08/2019– 271 व0प0, राँची, दिनांक– 21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–384 दिनांक– 15.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**श्रीमती जोबा मांझी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-15**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -** | **डॉ॰ नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मुश्त प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का विलय का निर्णय लिया गया है ; | स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के पत्रांक F.No.12-4/2016-EE.11 दिनांक 07.07.2017 द्वारा विद्यालय के पुनर्गठन का दिशा.निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मनोहरपुर विधान सभा क्षेत्र के पाँच प्रखण्डों में 551 प्रारंभिक विद्यालय थे, जिसमें पुनर्गठन के बाद विद्यालय की संख्या. 501 प्रतिवेदित है। इस तरह मात्र 9.07% विद्यालय पुनर्गठित हआ। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि वे सभी विद्यालयों भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) मानक के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में स्थित हैं; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। आर.टी.ई. (RTE) का पूर्ण पालन किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय में दायर तीन जनहित याचिका (PIL) को निरस्त किया जा चुका है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उन विद्यालयों के बन्द होने से रास्ते में नदी, नाला, पहाड़ के साथ ही साथ अत्याधिक व दुर्गम दूरी तय कर निर्धारित विद्यालयों में छात्र-छात्राएँ पहुँच नहीं पायेंगे ; | अस्वीकारात्मक।<br>शिक्षा का अधिकार (आरटीई) मानक के अनुरूप शैक्षणिक उन्नयन हेतु छात्र हित में विद्यालय पुनर्गठन किया गया है। लगभग सभी बच्चे नये स्कूल में पठन-पाठन कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों का युक्तिकरण किये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता में वृद्धि भी हुई है।<br>विद्यालय पुनर्गठन के बाद छात्र के लर्निंग में वृद्धि नैस, नीति आयोग तथा असर के मूल्यांकन में प्रतिवेदित हो रहा है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालयों को | वस्तुस्थिति उपरोक्त खण्डों में स्पष्ट की गई है। |

Khurshid

| | | |
|---|---|---|
| | विलय से मुक्त कराने के लिए तत्काल प्रभाव से नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | |

सरकार के अवर सचिव

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक 15/वि2-05/19 – 123 ....../ राँची, दिनांक 22.01. 2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 344, दिनांक 15.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

89

**श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का उत्तर सामग्री :–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज एवं आस–पास क्षेत्र के वनों का संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिए वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का कार्यालय मैक्लुस्कीगंज में नहीं है ; | मैक्लुस्कीगंज एवं आस–पास के वनों के संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बुड़मु का मुख्यालय मान्डर में अवस्थित है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि राँची जिला के चान्हों प्रखण्ड एवं खलारी प्रखण्ड को मिलाकर वनों का क्षेत्रीय पदाधिकारियों का कार्यालय मैक्लुस्कीगंज में स्वीकृत कराने से वनों का रख–रखाव तथा वनों का विकास कराया जा सकता है, | वनों के संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मुख्यालय मैक्लुस्कीगंज में होना जरूरी है या नहीं यह वन क्षेत्रों के पुर्नगठन की समीक्षा में ही स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकार की समीक्षा समय–समय पर विभाग द्वारा की जाती है।<br>वर्तमान में वन क्षेत्र पदाधिकारी का मुख्यालय मैक्लुस्कीगंज में निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वनों का क्षेत्रीय पदाधिकारियों का कार्यालय मैक्लुस्कीगंज में स्थापित करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–01 / 2019–270 व0प0, राँची, दिनांक– 21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–75 दिनांक– 10.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(90)

**चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 22.01.2019 को श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–09 का उत्तर प्रतिवेदन।**

---

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–518 दिनांक 13.03.2017 के आलोक में पेनिया ऋषिकेश इन्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने हेतु नियमानुसार मार्गदर्शन दिया गया था; | – स्वीकारात्मक |
| 2. क्या यह बात सही है की खण्ड–I में वर्णित विषयों व मार्ग दर्शन के आलोक में पेनिया ऋषिकेश इन्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा अपने इस अनुदानित राशि के खर्च का विस्तृत विवरणी दिनांक 02.08.2018 को विभाग को उपलब्ध करवा दिये जाने के उपरान्त भी अब तक अनुदान की प्रथम किस्त नहीं मिल पाया है; | – आंशिक स्वीकारात्मक<br>– विभागीय संकल्प सं0–51 दिनांक 11.01.2019 द्वारा निजी स्ववित्तपोषित तकनीकी संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी विभागीय संकल्प 518 दिनांक 27.02.2017 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् रद्द कर दिया गया है (अनु0–1)। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–I में वर्णित अनुदान राशि को अविलम्ब देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | – उपरोक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

झारखण्ड सरकार

**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग**
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–02/19 107 /राँची, दिनांक– 18.01.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 364 दिनांक 15.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.19

**(सरकार के अवर–सचिव)**

(91)

श्री ढुलू महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–09 का प्रश्नोत्तरः

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माँ लिलौरी मंदिर क्षेत्र का प्राचीनतम मंदिर है एवं धार्मिक आस्था का केंद्र है; | 1. | स्वीकारात्मक |
| 2. | क्या यह बात सही है कि माँ लिलौरी मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते है तथा हजारों कि संख्या में विवाह एवं अन्य धार्मिक कार्य यहाँ सम्पन्न होते है; | 2. | आंशिक स्वीकारात्मक |
| 3. | क्या यह बात सही है कि माँ लिलौरी मंदिर को राजकीय धरोहर घोषित कर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने से क्षेत्र का विकास होगा एवं पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी एवं राजस्व में भारी इजाफा होगा; | 3. | आंशिक स्वीकारात्मक |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माँ लिलौरी मंदिर को राजकीय धरोहर घोषित कर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 4. | वर्तमान में नगर निगम, धनबाद द्वारा यहाँ एक बहुद्देशीय विवाह मण्डप तथा एक सार्वजिक पार्क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार के स्थलों पर विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति, धनबाद को चालू वित्तीय वर्ष में ₹1.00 करोड़ का Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है जिससे अन्य आवश्यक कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति, धनबाद के निर्णयानुसार उक्त निधि से इस स्थल पर आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा। उक्त मंदिर को राजकीय धरोहर घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/09/2019..119...../राँची, दिनांक..21-01-2019.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–375/वि०स०, दिनांक–15/01/2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

92

**श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–09 का उत्तर सामग्री :–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि पलामू व्याघ्र परियोजना के नाम पर पलामू प्रमंडल में आठ गाँवों को परियोजना के विस्तारित करने के नाम पर गाँव वासियों का अन्यत्र बसने को बाध्य किया जा रहा है ; | अस्वीकारात्मक। |
| (2) क्या यह बात सही है कि व्याघ्र परियोजना कोर एरिया का कुल क्षेत्रफल 414048 वर्ग किलोमीटर है जिसके कारण हजारों परिवार विस्थापित हो रहें हैं ; | अस्वीकारात्मक। |
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विस्थापन रोकने एवं पुनःर्वास की व्यवस्था करना चाहती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। |

**झारखण्ड सरकार**

**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–10 / 2019– 275 व0प0, राँची, दिनांक– 21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–382 दिनांक– 15.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–03 का प्रश्नोत्तरः

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत ललपनिया में लुगू वुरू घंटावाडी धोरोमगढ़ आदिवासियों का प्रमुख धर्मस्थल है; | 1. | स्वीकारात्मक |
| 2. | क्या यह बात सही है कि लुगू वुरू घंटावाडी धोरोमगढ़ के दर्शनार्थ देश के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोग आते है, जिसमें बच्चे, महिलाये और बुढ़े–बुजुर्ग भी रहते है; | 2. | स्वीकारात्मक |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित धर्मस्थल पहाड़ पर अवस्थित है, जिसके कारण दर्शनार्थियों को आवागमन में काफी कठिनाईयाँ परेशानी होती है; | 3. | आंशिक स्वीकारात्मक |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लुगू वुरू घंटावाडी धोरोमगढ़ में रोपवे लगाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 4. | लुगू बुरू घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में रोपवे के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। एतद् संबंधी, पर्यटन निदेशालय के पत्रांक–667, दिनांक 24.05.2018 द्वारा विभागीय PMU Ideck को DPR बनाने का कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं पत्रांक–1473, दिनांक 10.12.2018 द्वारा लुगूबुरू में रोपवे निर्माण हेतु कतिपय बिन्दुओं पर उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति, बोकारो से प्रतिवेदन की माँग की गयी है। |

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 08 / 2019...132......... / राँची, दिनांक...21-01-2019...

**प्रतिलिपिः**– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–157 / वि०स०, दिनांक–13 / 01 / 2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

94

**श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ० 01**

**क्या मंत्री,**
**उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–** **मंत्री–**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष 2018 के बजट में खरसावां में सिल्क पार्क बनाने का प्रस्ताव लाया गया था; | खरसावाँ में सिल्क पार्क बनाने का प्रस्ताव ASIDE योजनान्तर्गत लिया गया था। वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्रांक–20/40/2012–SC दिनांक–19.05.2015 द्वारा ASIDE योजना को D-Link की सूचना दी गयी। ASIDE योजना भारत सरकार द्वारा D-Link करने के फलस्वरूप दिनांक–28.04.2016 को अपर मुख्य सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सिल्क पार्क खरसावां का निर्माण बंद करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2018 में उक्त योजना में बजट उपबंध नहीं है। |
| 2 | यदि उर्पुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खरसावां में सिल्क पार्क बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**
**उद्योग विभाग**

ज्ञापांक–01/ता0 प्रश्न–03–03/2019 181 राँची, दिनांकः–21/01/2019

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–87 दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव

## श्री कुणाल षड़गी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–10 का उत्तर सामग्री :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी जा रही है, जिससे गरीब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>हाथियों के कारण हुई नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु सरकारी प्रावधानानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिले से संलग्न पं0 बंगाल सीमा क्षेत्र में पं0 बंगाल सरकार के द्वारा ट्रेंच बना देने से हाथियों को पारम्परिक मार्ग अवरूद्ध हो गया है, जिसके कारण हाथी भटक कर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया, बहरागोड़ा, धालभूमगढ़, डुमुरिया आदि क्षेत्रों में घुमते रहते हैं तथा फसलों को बर्बाद करते हैं ; | पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वर्ष 2016 में झारखण्ड राज्य से सटे ग्राम कानीमहुली से भांटीझरणा तक हाथी रोधी ट्रेंच की खुदाई की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के पदाधिकारियों के साथ पत्राचार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक ने अपने पत्र दिनांक–16.08.2017 द्वारा स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाथियों को अपने पारम्परिक पथ से अन्य क्षेत्रों में भटकने से रोकने हेतु कॉरीडोर के दक्षिण दिशा में 06 कि0मी0 लम्बा ट्रेंच करवाया है। जिससे पारम्परिक पथ अवरूद्ध नहीं होता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाथियों के परम्परागत रूट को कभी भी अवरूद्ध नहीं किया जाएगा। |
| (3) क्या यह बात सही है कि हाथियों से होने वाले नुकसान के भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति डिसमिल 80/– रू0 किसानों को मुआवजा के रूप में दिया जाता है जो बहुत ही कम राशि है ; | हाथियों द्वारा की गई क्षति की भरपाई हेतु मुआवजा राशि में समय–समय पर आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाती है। झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 के द्वारा वर्ष 2017 में हाथियों द्वारा जानमाल की क्षति के विरूद्ध दिये जाने वाले मुआवजा राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। इस संकल्प के अनुसार फसल क्षति हेतु मुआवजे की राशि 10,000/– रू0 प्रति हे0 से बढ़ाकर 20,000/–रू0 प्रति हे0 कर दी गयी है। |
| (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हाथियों से होने वाले नुकसान के एवज में दिये जाने वाले मुआवजा राशि 80/– रू0 से बढ़ाकर उचित मुआवजा दिलाने एवं पं0 बंगाल सरकार से बात कर हाथियों के पारम्परिक मार्ग से ट्रेंच को भरवाने तथा हाथियों के संरक्षण हेतु उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त कंडिका–2 एवं 3 में जानकारी दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–11/2019–268 व0प0, राँची, दिनांक–21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–381 दिनांक– 15.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(96)

श्री सुखदेव भगत, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–05 का प्रश्नोत्तरः

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिलान्तर्गत कुडू प्रखण्ड के ग्राम टिको में 1832 के लरका आन्दोलन के प्रणेता अमर शहीद वीर बुधू भगत के पुत्र शहीद हलधर एवं गिरधर ने आन्दोलन में बलिदान दिया था; | 1. | स्वीकारात्मक |
| 2. | क्या यह बात सही है कि यह शहीद होने के बावजूद यह काफी उपेक्षित है; | 2. | अस्वीकारात्मक<br>इस स्थल पर फरवरी में मेला का आयोजन होता है। शहीद स्थल पर चाहरदिवारी किया हुआ है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 3. | प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में इस स्थल पर मेला का आयोजन होता है। अन्य दिनों में उक्त स्थल पर पर्यटकों की संख्या नहीं रहती है।<br>इस प्रकार के स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति, लोहरदगा जिसमें स्थानीय विधायक व सांसद भी सदस्य हैं, को आवंटनादेश सं०–55, दिनांक–28.12.2018 द्वारा ₹50–50 लाख कुल 1.00 करोड़ अनाबद्ध रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिससे उक्त स्थल का विकास कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति, लोहरदगा के निर्णय व प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। |

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/05/2019 130 /राँची, दिनांक 21-01-2019

**प्रतिलिपिः–** उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–159/वि०स०, दिनांक–13/01/2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism

(97)

234
21/01/2019

**श्रीमती जोबा मांझी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-16**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में विज्ञापित दिव्यांगों की संख्या 530 आंकी गई है ; | वस्तु स्थिति यह है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में दिव्यांगजन के तीन प्रवर्गों यथा दृष्टि निःशक्ता, श्रवण निःशक्ता, चलन निःशक्ता या सेरेब्रल पाल्सी में क्रमशः 697, 190 तथा 51 कुल 938 रिक्तियाँ अधियाचित एवं विज्ञापित है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त परीक्षा में निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 04 फिसदी आरक्षण के साथ ही आयु सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट तथा परीक्षा की प्रति पालियों में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया ; | वस्तु स्थिति यह है कि झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 के अध्याय-6 के नियम 9(i)(v) में निहित प्रावधान के आलोक में विज्ञापन संख्या-21/2016 की कंडिका-06 में दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट दी गई है। उक्त विवरणीका की कंडिका-07 के अनुसार दिव्यांगजनों को परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय तथा स्क्राईब की सुविधा नियमानुसार दी गई है। यह कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-7281 दिनांक 07.11.2017 एवं 5671 दिनांक 04.07.2016 के आलोक में तत्समय प्रभावी अनुदेश के अनुसार दिव्यांगजन के तीन प्रवर्गों यथा दृष्टि निःशक्ता, श्रवण निःशक्ता, चलन निःशक्ता या सेरेब्रल पाल्सी के लिए क्रमशः 1-1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था इसी के अनुरूप है।<br><br>2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-2249 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा उक्त प्रवर्गों के अतिरिक्त एक अन्य प्रवर्ग, स्वलीनता एवं बहु निःशक्ता जोड़ते हुए निःशक्तजनों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो तत्समय प्रभावी नहीं था। यह भविष्य की नियुक्तियों में प्रभावी होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | क्या यह बात सही है कि सामान्य श्रेणी परीक्षार्थियों के तुलना में दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स कम कर बैकलॉग को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की पहल अबतक अपेक्षित है ; | दिव्यांग आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है। तद्नुसार यह प्रभावी किया जाता है। |
| 4 | क्या यह बात सही है कि न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स ज्यादा होने के कारण उक्त संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में दिव्यांगों का पद हमेशा की तरह रिक्त रहने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है ; | उपरोक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है। |
| 5 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दिव्यांगों के लिए नियुक्तियों में कट ऑफ मार्क्स घटाकर इनके लिए खाली पड़े पदों की रिक्ति को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है। |

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

झापांक-10/वि.स.01-12/2019 234 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

**श्री चम्पई सोरेन, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत–06**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर प्रखण्ड में एक भी स्नातक महाविद्यालय नहीं है; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड में स्नातक महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र–छात्राओं को जमशेदपुर 35 कि0मी0, चाईबासा 28 कि0मी0 तथा सरायकेला 18 कि0मी0 की दूरी तय कर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक परेशानियाँ होती है; | अंशतः स्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजनगर प्रखण्ड में स्नातक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | विभागीय आदेश ज्ञापांक–1956 दिनांक–07.09.2016 द्वारा सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत – (1) महिला महाविद्यालय, सरायकेला–खरसावाँ (2) मॉडल महाविद्यालय, सरायकेला–खरसावाँ एवं (3) डिग्री महाविद्यालय, खरसावाँ के स्थापना एवं निर्माण हेतु सैद्धान्तिक सहमति दी गयी है।<br>महिला महाविद्यालय, सरायकेला–खरसावाँ एवं डिग्री महाविद्यालय, सरायकेला–खरसावाँ के स्थापना की स्वीकृति दी गयी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।<br>वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय का निर्माण संबंधी राज्य सरकार का काई निर्णय नहीं है। |

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–15/2019......159....../ रांची दिनांक–......21/01/19....../

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–362 दिनांक–15.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

227
21/01/2019

**श्री लक्ष्मण टुडू, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-10**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखण्ड अन्तर्गत महुलिया में महुलिया उच्च विद्यालय अवस्थित है, जिसमें कई गांवों के छात्र-छात्राएँ पढ़ने के लिए आते हैं ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि महुलिया उच्च विद्यालय से नजदिकी 10+2 इंटरमिडिएट कॉलेज की दूरी लगभग 10 कि0मी0 है जो कि छात्र-छात्राओं के लिए चिंता का विषय है ; | अस्वीकारात्मक।<br>महुलिया उच्च विद्यालय, महुलिया से 7 कि0मी0 की दूरी पर स्थापना अनुमति प्राप्त जामिनी कान्त महतो इण्टर कॉलेज है। महुलिया उच्च विद्यालय महुलिया से नजदिकी +2 विद्यालय मारवाड़ी हिन्दी +2 उच्च विद्यालय, घाटशिला है, जिसकी दूरी (महुलिया उच्च विद्यालय महुलिया से) 10 कि0मी0 है। घाटशिला में ही घाटशिला कॉलेज, घाटशिला है जिसमें इंटर स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि इतने विस्तृत क्षेत्र में कोई 10+2 इंटरमिडिएट कॉलेज नहीं होने के कारण कई छात्र-छात्राओं आगे की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते है ; | कंडिका-02 में उत्तर सन्निहित है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों की समस्या को देखते हुए उपर वर्णित महुलिया उच्च विद्यालय को 10+2 इंटरमिडिएट कॉलेज में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कंडिका-02 में उत्तर सन्निहित है। |

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-11/2019 227 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

100

**श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-17**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत चतरा में महिला महाविद्यालय का पठन-पाठन का कार्य चतरा कॉलेज में ही कराया जा रहा है; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि महिला महाविद्यालय ना होने के कारण बच्चियों को पठन-पाठन कार्य में काफी दिक्कतें होती है; | अस्वीकारात्मक है। चतरा जिला अन्तर्गत चतरा विधन सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय का पठन-पाठन का कार्य चतरा कॉलेज, चतरा में ही कराया जा रहा है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चतरा में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | चतरा जिला अन्तर्गत चतरा विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदान की गयी है। झारखण्ड भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार भूमि संबंधी विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। भूमि विवाद समाप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। |

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-16/2019...153.../ रांची दिनांक-...21/01/19.../

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-340 दिनांक-15.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

## श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–08 का उत्तर सामग्री :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड उधवा स्थित विश्व प्रसिद्ध पक्षी आश्रयणी का मॉनिटरिंग हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के माध्यम से की जा रही है ; | उधवा पक्षी आश्रयणी का भौगोलिक स्थल साहेबगंज जिला में है तथा प्रशासनिक नियंत्रण वन्यप्राणी प्रमण्डल हजारीबाग के अधीन है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पक्षी आश्रयणी क्षेत्र के मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण वहाँ सैलानी पक्षियों का मारा जा रहा है तथा आश्रयणी क्षेत्र का अतिक्रमण विगत कई वर्षो से किया जाता रहा है ; | उधवा झील पक्षी आश्रयणी के संरक्षण एवं मोनिटरिंग हेतु दो वनरक्षी कार्यरत है जिनके द्वारा उधवा झील पक्षी आश्रयणी क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार के रोकथाम हेतु नियमित एवं सतत् रूप से गश्ती की जाती है। वर्तमान में उधवा झील पक्षी आश्रयणी का अधिसूचित भू–भाग जलाच्छादित है, तथा संप्रति उक्त अधिसूचित भू–भाग पर अतिक्रमण से संबंधित कोई मामला न तो प्रतिवेदित है और न वन प्रमण्डल पदाधिकारी के संज्ञान में है।<br>उधवा झील पक्षी आश्रयणी की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के अतिरिक्त साहेबगंज वन प्रमण्डल के पदाधिकारियों को भी आवश्यक सहायता प्रदान का निदेश दिया गया है। |
| (3) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के पास उपलब्ध Composite History Diagram के अनुसार वर्ष 2018 तक पक्षी आश्रयणी क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र/भू–भाग का अतिक्रमण किया गया है ; | इसका उत्तर प्रश्न संख्या–02 में सन्निहित है। |
| (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पक्षी आश्रयणी वन क्षेत्र को पर्यावरण के दृष्टिकोण से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इसका उत्तर प्रश्न संख्या–02 में सन्निहित है। |

**झारखण्ड सरकार**

**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–09/2019– 272 व0प0, राँची, दिनांक– 21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–383 दिनांक– 15.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(102)

**श्री नलिन सोरेन, माननीय स0 वि0 स0 के द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–24 का उत्तर सामग्री**

| क्र॰ | तारांकित प्रश्न संख्या–शि–24 | माननीय मंत्री, अनु0 जन0 जाति अनु0 जा0 अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अन्तर्गत प्रखण्ड काठीकुण्ड स्थित राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय का छात्रावास कुछ भाग जर्जर एवं कुछ भाग ढह गया है, जो रहने लायक नहीं है, | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड काठीकुण्ड अन्तर्गत आदर्श मध्य विद्यालय का छात्रावास ध्वस्त हो गया है, उपरोक्त दोनो छात्रावास के ध्वस्त होने के कारण दूर–दराज के छात्रों को आवासन में काफी तकलीफ झेलना पड़ता है, | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उपायुक्त दुमका को विभागीय पत्रांक–2725 दिनांक–22.08.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला में उपलब्ध किसी योजना से छात्रावास का निर्माण सुनिश्चित करेंगें पर अबतक नहीं कराया गया है, | स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनो छात्रावास का भवन चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | दुमका जिला अन्तर्गत प्रखण्ड काठीकुण्ड स्थित राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय में छात्रावास निर्माण हेतु 170.00 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका को उपलब्ध कराया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक–100 दिनांक–21.01.19 के अनुसार जॉचोपरांत यह पाया गया है कि आदर्श मध्य विद्यालय का छात्रावास भवन पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के कारण उक्त स्थान पर कस्तुरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण हो गया है। सम्प्रति उक्त विद्यालय में छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही है। |

**झारखण्ड सरकार**

**अनु0 जन0 जाति अनु0 जा0 अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

ज्ञापांक– 15/वि0स0प्र0–01/2019– 276 राँची, दिनांक– 21/01/19

प्रतिलिपि :1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–345 दिनांक –15.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–5 (विधायी कार्य), अनु0 जन0 जाति अनु0 जा0 अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.2019

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव

C:\Users\Kailash Kumar\Desktop\kailash_Office\Letter\Letter on Vidhan_Sabha.doc

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–17 का प्रश्नोत्तरः

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि तोरपा प्रखण्ड में पेरवाघाघ पर्यटन स्थल अवस्थित है जहाँ पर राज्य एवं निकटवर्ती राज्यों से पर्यटक पिकनीक मनाने एवं पर्यटन करने आते है, जिन्हें अत्याधिक कठिनाई एवं असुविधा होती है; | 1. | आंशिक स्वीकारात्मक |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पर्यटन स्थल को राजकीय पर्यटक स्थल घोषित करते हुए सौंदर्यीकरण के साथ–साथ रोपवे का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 2. | उक्त स्थल पर पर्यटको की सुविधा हेतु ₹75.00 लाख की लागत से शौचालय, कैफेटेरिया, कैनोपी, वाच टॉवर, बेंच, सोलर सिस्टम द्वारा जलापूर्ति, Children Play Zone, सोलर लाईट एवं PCC पथ का निर्माण किया जा रहा है। कार्य अंतिम चरण में है।<br>उक्त स्थल की राजकीय पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन समिति से प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णयानुसार घोषित करने पर विचार किया जा सकेगा। विभाग इस स्थल को पर्यटक स्थल मानता है।<br>उक्त स्थल के पर्यटन संभावना के अनुसार आवश्यक विकास कार्य (उपरोक्त वर्णित) किया जा रहा है। इस स्थल की पर्यटन संभावना रोपवे अधिष्ठापन के अनुकूल नहीं है। अतः इस स्थल पर रोपवे अधिष्ठापन का विचार नहीं है। |

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/17/2019...121.........../राँची, दिनांक 21-01-2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–347/वि०स०, दिनांक–15/01/2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

(104)

**चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 22.01.2019 को श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–10 का उत्तर प्रतिवेदन।**

---

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमण्डल में पॉलिटेक्नीक कॉलेज नहीं है, जिससे बरही अनुमण्डल के छात्र–छात्राएँ तकनीकी शिक्षा से वंचित है; | – हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग में पोलिटेकनिक के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 से इसमें पठन–पाठन कार्य प्रारंभ करने का प्रयास है। जिसमें झारखण्ड राज्य के साथ हजारीबाग जिला के विद्यार्थियों का भी नामांकन होगा। |
| 2. क्या यह बात सही है की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राएँ को जिला/राज्य के बाहर जाना पड़ता है, जिससे छात्र–छात्राओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता है; | – अस्वीकारात्मक |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरही में पॉलिटेकनीक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | – वर्तमान में झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला में पोलिटेकनिक संस्थान चालु करने का निर्णय है। |

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–03/19 110 /राँची, दिनांक– 18.01.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 365 दिनांक 15.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सरकार के अवर–सचिव)

105

*श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 22.01.2019 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–14 का उत्तर:–*

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तर दाता |
|---|---|
| श्री अरूप चटर्जी, सदस्य विधान सभा | *श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।* |

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राज्य भर में कही भी कला–संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक भी ऑर्ट गैलरी व ऑर्ट म्यूजियम स्थापित नहीं है; | अस्वीकारात्मक।<br>राँची जिला में राज्य संग्रहालय अवस्थित है, जहाँ संग्रहालय संबंधी क्रिया–कलापो के साथ–साथ कला प्रदर्शनी एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ होती है। साथ ही राँची में आड्रे हाउस अवस्थित है, जहाँ विभिन्न कलाओं का प्रदर्शनी एवं संबंधित गतिविधियाँ सम्पादित की जाती है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार राज्य के राँची, जमशेदपुर अथवा धनबाद शहर में एक ऑर्ट गैलरी व आर्ट म्यूजियम स्थापित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कण्डिका–1 में वर्णित राज्य संग्रहालय एवं आड्रे हाउस के अलावे दुमका में संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। |

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–14/2019 126 / राँची, दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 372/वि०स० दिनांक 15.01.19 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

106

**श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 का उत्तर सामग्रीः–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1)– क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता राँची के द्वारा राँची जिला के खलारी अंचल अन्तर्गत बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु मौजा कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट नं0–102, रकबा–0.40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर अपर समाहर्त्ता रांची के पत्रांक–2949 जो दिनांक 28/11/13 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है। | अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपने पत्रांक 2949(II)/रा0 दिनांक–28.11.2013 द्वारा खेलारी अंचल के मौजा–कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट संख्या–102, रकबा–0.40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि किस्म जंगल झाड़ी भूमि पर बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु भूमि के हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई है, ना कि उनके द्वारा अनापत्ति दी गई है। |
| (2)– क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपर समाहर्त्ता राँची के पत्रांक– क्रमांक–2948W, 2950D & 2949G दिनांक–28/11/13 के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची को भेजा जा चुका है, | |
| (3)–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त उल्लेखित भूमि वन भूमि की श्रेणी में आती है, वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण (सरकारी विभाग सहित) से वनभूमि पर विषयांकित गैर वानिकी कार्य करने हेतु उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम के तहत् विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विषयांकित संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–03/2019– 269 व0प0, राँची, दिनांक–21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–76 दिनांक–10.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

107

230
21/01/2019

**श्री रबीन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-11**
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के प्रखण्ड-फतेहपुर अंतर्गत 10 वर्ष पूर्व चापूड़िया मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित किया गया है और मध्य विद्यालय के भवन में ही हाई स्कूल वर्गो का शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों को काफी कठिनाई हो रही है ; | वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय चापुड़िया, प्रखण्ड-फतेहपुर को वर्ष 2006-07 में राज्य योजना के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। उक्त विद्यालय में वर्ग 09 में अध्ययनरत छात्रों की संख्या-91 तथा वर्ग 10 में अध्ययनरत छात्रों की संख्या-59 है।<br>प्रश्नाधीन विद्यालय में कुल 08 वर्ग कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 कम्प्यूटर कक्ष, 01 आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष तथा 01 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र ही चापूड़िया उत्क्रमित हाई स्कूल में वर्ग कक्षा का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उक्त विद्यालय में छात्र संख्या को देखते हुए 04 वर्ग कक्ष का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ किया जायेगा। |

21/01/2019
**सरकार के अवर सचिव।**

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-18/2019 230 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
**सरकार के अवर सचिव।**

(108)

**श्री लक्ष्मण टुडु, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–08 का प्रश्नोत्तरः**

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | **क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–** | | **मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि पू० सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखण्ड अन्तर्गत मौभण्डार में एच०सी०एल० द्वारा जन सामुदायिक पर्यटन उद्यान का नव निर्माण के लिए अनापति प्रमाण पत्र संबद्धित विभाग को दिया गया है; | 1. | **आंशिक स्वीकारात्मक**<br>हिन्दुस्तान कॉपर लि० (एच०सी०एल०) के पत्रांक 2017, दिनांक 06.05.2017 एवं पत्रांक 2019, दिनांक 19.01.2019 से ज्ञात हो तो है कि उक्त स्थल पर पार्क निर्माण हेतु एच०सी०एल० से भूमि उपयोग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मा० लक्ष्मण टुडु द्वारा माँग गया था जिसके आलोक में एच०सी०एल० के पत्रांक 17, दिनांक 06.05.2017 द्वारा मा० विधायक को उक्त स्थल पर पार्क निर्माण हेतु 8175 वर्ग मी० भूमि उपयोग का अनापति दिया गया है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पर्यटन उद्यान के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 2. | उक्त स्थल पर्यटक स्थल की श्रेणी में नहीं आता है, अतः विभाग से पार्क निर्माण का कोई योजना नहीं है तथा न हीं विभाग द्वारा इस हेतु भूमि उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग एच०सी०एल० से की गई है। जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (DTPC) स्थानीय पर्यटक स्थलों का विकास कराने संबंधी निर्णय लेने हेतु सक्षम है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

**ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/15/2019** 122 **/राँची, दिनांक** 21-01-2019

**प्रतिलिपिः–** उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–374/वि०स०, दिनांक–15/01/2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**सरकार के विशेष सचिव**

जितेन्द्र

jharkhand tourism
Nature's hidden jewel

**डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–06 का उत्तर सामग्री :–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के जामताड़ा एवं नारायणपुर प्रखण्ड अन्तर्गत आए दिन हाथियों के झुण्ड द्वारा किसानों के धान की फसल को नष्ट कर दिया जाता है तथा हाथियों के हमले से लोगों की मौत हो रही है और ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं ; | आंशिक स्वीकारात्मक ।<br>जामताड़ा एवं नारायणपुर प्रखण्ड के क्षेत्र से हाथियों के आवागमन के दौरान हाथियों के द्वारा फसल एवं जान–माल की क्षति हुई है। |
| (2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित को पर्याप्त मुआवजा देते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त क्षेत्र में वाच टावर स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | हाथियों द्वारा फसल एवं जान–माल की क्षति के एवज में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मुआवजा का भुगतान किया जाता है। वनों एवं वन प्राणियों की सुरक्षा हेतु नारायणपुर में एक एवं कुण्डहित में एक वॉच टावर का निर्माण किया गया है। |

**झारखण्ड सरकार**
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न– 07 / 2019–274 व0प0, राँची, दिनांक– 21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–385 दिनांक–15.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

110

229
21/01/2019

**श्री नारायण दास, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-03**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के प्रखण्ड देवघर, मोहनपुर एवं देवीपुर के उच्च विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के कमी के कारण स्थानीय छात्र/छात्राओं के शिक्षण कार्य बाधित हो रही है, | अस्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि देवघर जिला के प्रखण्ड देवघर, मोहनपुर एवं देवीपुर में माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व में 46 माध्यमिक विद्यालयों में 133 शिक्षक कार्यरत थे।<br>वर्तमान में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु अनुशंसित कुल 304 अभ्यर्थियों की नियुक्ति देवघर जिला में की गई है, जिनमें से 295 शिक्षकों का पदस्थापन किया जा रहा है। इससे विषयवार शिक्षकों की स्थिति में सुधार होगा। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित प्रखण्डों में +2 विद्यालयों के कमी के कारण स्थानीय छात्र/छात्राओं के अपने गृह पंचायत से अन्यत्र पढ़ाई करने को विवश है, | वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 07-08 कि0मी0 की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की गई है। प्रश्नाधीन प्रखण्डों में संचालित +2 उच्च विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :-<br>(तालिका नीचे)<br>उपरोक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन संचालित है। इन सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त निजी प्रबंधन, वित्तपोषित विद्यालय भी उपलब्ध हैं। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि रोहिणी उच्च विद्यालय, घोरमारा उच्च विद्यालय एवं तपोवन उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किये जाने के कारण स्थानीय छात्र/छात्राओं को कठिनाईयाँ हो रही है, | प्रश्नाधीन उच्च विद्यालयों से निकटतम +2 विद्यालयों की दूरी निम्नवत् है:-<br>(तालिका नीचे) |

| प्रखण्ड का नाम | +2 उच्च विद्यालयों की संख्या |
|---|---|
| देवघर | 03 |
| देवीपुर | 02 |
| मोहनपुर | 02 |

| क्र0 सं0 | उच्च विद्यालय का नाम | निकटतम +2 विद्यालय का नाम | उच्च विद्यालय से +2 उच्च विद्यालय की दूरी | कक्षा 11 एवं 12 में छात्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उच्च विद्यालय, रोहिणी | आर0 मित्रा +2 उच्च विद्यालय, देवघर | लगभग 3 कि0मी0 | 428 |
| 2 | उच्च विद्यालय, घोरमारा | +2 उच्च विद्यालय, मोहनपुर | लगभग 8 कि0मी0 | 960 |
| 3 | उच्च विद्यालय, तपोवन | आर0 मित्रा + उच्च विद्यालय, देवघर | लगभग 7 कि0मी0 | 428 |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रश्नाधीन विद्यालय +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की अर्हता को पूर्ण नहीं करते है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में विषयवार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी का पदस्थापन तथा खण्ड (3) में वर्णित विद्यालयों को +2 में अपग्रेड कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है। |

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–05/2019 229 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।